

दिशा-निर्देश

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

ETAWAH

सेवा में,

प्रबंधक

GYAN STYHALI ACADEMY

SHUKLAGANJ BHARTHANA

ETAWAH

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/

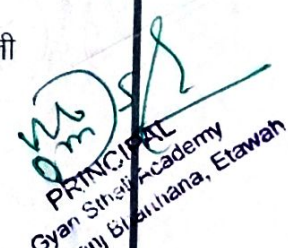
/2020-21

दिनांक :- 17/Jul/2025

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धरा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण-पत्र।

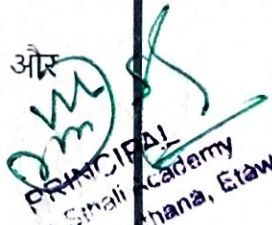
महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरिक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्राइमरी स्तर (I - V) स्तर अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम (स्थायी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।
उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है :-


PRINCIPAL
Gyan Styhali Academy
Shuklaganj Bharthana, Etawah


Manager
Gyansthal Academy
Shukla Ganj Bharthana, Etawah

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्ष नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
7. (1)- प्रवेश दिए गए किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्ष नहीं किया जायेगा।
(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए


PRINCIPAL
Gyan Smriti Academy
Shukla Ganj, Bharthana, Etawah


Manager
Gyan Smriti Academy
Shukla Ganj, Bharthana, Etawah

अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित यथा न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हो, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 3027

कुल निर्मित क्षेत्रफल-8090

क्रीड़ास्थल- हाँ

कक्षाओं की संख्या- NaN

प्रधानाध्यापक, कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्षाओं की संख्या- 1,1,1

पुस्तकालय /वाचनालय कक्षाओं की संख्या- 1

बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की संख्या- 4

पेयजल सुविधा की संख्या- 2


Manager
Gyansthal Academy
Shukla Ganj Bharthana, Etawah


PRINCIPAL
Gyan Stali Academy
Shuklaganj Bharthana

बाधारहित पहुँच – हाँ

अध्यापन पठान सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/काष्ठोपकरण/विज्ञान सामग्री की उपलब्धता- हाँ

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय भवनों या अन्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-2750-56/2014-15 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिस्खा निदेशक /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जारी किये गये।


PRINCIPAL
Gyansthal Academy
Shukla Ganj Bhanthana, Etawah


Manager
Gyansthal Academy
Shukla Ganj Bhanthana, Etawah

क पत्रावली का पत्रावली का पूर करन का लिए जारा किया जाय ।

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये ।
18. विद्यालय /संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डाइस + से सम्बंधित सूचनाएं/आंकड़ें भरना अनिवार्य होगा ।
19. शासनदेश दिनांक 11.1.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन / कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी । जिसके लिए विद्यालय प्रबंधतन्त्र स्वयं उत्तरदायी होगा ।


Manager
Gyansthal Academy
Shukla Ganj Bharthana, Etawah


PRINCIPAL
Gyan Sthai Academy
Shuklaganj Bharthana, Etawah

दिशा-निर्देश

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

ETAWAH

सेवा में,

प्रबंधक

GYAN STYHALI ACADEMY

SHUKLAGANJ BHARTHANA

ETAWAH

पत्रांक-बेसिक/मान्यता//

/2020-21

दिनांक :- 17/Jul/2025

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धरा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार /निरिक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए अपर-प्राइमरी स्तर(VI - VIII) स्तर अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम (स्थायी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।
उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधधीन है :-


PRINCIPAL
Gyan Sthali Academy
Shuklaganj Bharthana, Etawah


Manager
Gyansthal Academy
Shukla Ganj Bharthana, Etawah

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्ष नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
7. (1)- प्रवेश दिए गए किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्ष नहीं किया जायेगा।
(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।
(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए


PRINCIPAL
Gyan Sathi Academy
Shuklaganj, Bharthana, Etawah


Manager
Gyansthal Academy
Shukla Ganj, Bharthana, Etawah

अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित यथा न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हो, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 3027

कुल निर्मित क्षेत्रफल-8090

क्रीड़ास्थल- हाँ

कक्षाओं की संख्या- NaN

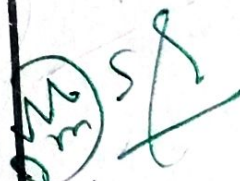
प्रधानाध्यापक, कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्षाओं की संख्या- 1,1,1

पुस्तकालय /वाचनालय कक्षाओं की संख्या- 1

बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की संख्या- 4

पेयजल सुविधा की संख्या- 2

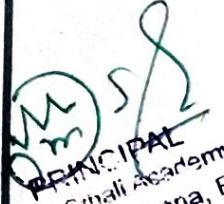

Manager
Gyansthal Academy
Shukla Ganj Bharthana, Etawah


PRINCIPAL
Gyan Stnali Academy
Shukla Ganj Bharthana, Etawah

बाधारहित पहुँच – हॉ

अध्यापन पठान सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/काष्ठोपकरण/विज्ञानं सामग्री की उपलब्धता- हॉ

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय भवनों या अन्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-2750-56/2014-15 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिस्वा निदेशक /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।


PRINCIPAL
Gyan Smriti Academy
Shukla Ganj, Bharthana, Etawah


Manager
Gyan Smriti Academy
Shukla Ganj, Bharthana, Etawah

यह कार्यकरण का कामना का पूरा करने का लिए जारी किया जाये।

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
18. विद्यालय /संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डाइस + से सम्बंधित सूचनाएं/आंकड़ें भरना अनिवार्य होगा।
19. शासनदेश दिनांक 11.1.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन / कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबंधतन्त्र स्वयं उत्तरदायी होगा।


Manager
Gyansthal Academy
Shukla Ganj Bharthana, Etawah


PRINCIPAL
Gyan Stali Academy
Shuklaganj, Bharthana, Etawah